

→ ACM, चौमू

फर्द अहकाम


राहुत

बनाम

कुन्दा विदे

संख्या 06/23

वाड

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	2/8/23	<p>वकीलों द्वारा आज कण्डोलेस / कार्य स्थगित रखे जाने से पञ्चावली गत आज्ञानुसार दिनांक 7/8/23 को पेश हो।</p>	
	07/8/23	<p>व. वाडी डप. वकील वाडी ने मुताबिक फुर्रिजात प्रस्ताव वाड अलिफ डिक्ली हेतु निवेदन किया। वरुदा सुनी गयी। पञ्चावली का अवलोकन किया गया। वाड मुताबिक फुर्रिजात प्रस्ताव अलिफ डिक्ली किया जाता है। विस्तृत निवेदन पत्रक से विख्याता जाकर शा. डि. किया गया। अलिफ डिक्ली जारी है। पञ्चावली जलल शुमार लेकर डप नम्बर से कर है। दायिम इन्टर है।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर चौमू (जयपुर) </p>	

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ जयपुर
पीठासीन अधिकारी :-सुश्री पूजा मीणा (R.A.S.)

उनवान

राहुल पुत्र सुन्दरलाल, जाति अहीर, निवासी ग्राम देवपुरा टांकरड़ा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

-वादी-

बनाम

1. कुन्दन सिंह पुत्र चतर सिंह
2. घीसू सिंह पुत्र भंवर सिंह
3. धन्ने सिंह पुत्र भंवर सिंह
4. निरंजन सिंह पुत्र चतर सिंह
5. महेन्द्र सिंह पुत्र चतर सिंह
6. मालसिंह पुत्र ईसर सिंह
समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम जालिमसिंह का बास, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये उपतहसीलदार महोदय गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।
9. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
10. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, हाल पंजाब नेशनल बैंक, जरिये शाखा प्रबंधक चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
11. आईसीआईसीआई बैंक जरिये शाखा प्रबंधक चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :-06/2023

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रुबरू हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुददई रुबरू सुश्री पूजा मीणा आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

वाके ग्राम जालिमसिंह का बास, पटवार हल्का सान्दरसर, भू0अभि0नि0 क्षेत्र हस्तेड़ा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर के खाता सं0 70 के खसरा नं0 10 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 11 रकबा 1.25 है0, खसरा नं0 18 रकबा 0.60 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 1.91 हैक्टेयर भूमि, खाता सं0 71 के खसरा नं0 58 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 59 रकबा 1.16 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 1.23 हैक्टेयर भूमि का मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांक 19.06.2023 के अनुसार निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है:-

(Signature)
सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

1. राहुल पुत्र सुन्दरलाल अहीर (यादव) सा0 64 ग्राम देवपुरा (टांकरड़ा), तह0 चौमूं खातेदार के हिस्से में खाता सं0 70 के खसरा नम्बर 10/2 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 11/2 रकबा 0.48 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.52 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. कुन्दनसिंह पुत्र चतरसिंह हिस्सा 4/30 राजपूत सा0 देह खातेदार रहन ओवीसी बैंक शाखा चौमूं, धीसू सिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा 3/30 राजपूत सा0 देह खातेदार, धन्ने सिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा 3/30 राजपूत सा0 देह खातेदार, निरंजनसिंह पुत्र चतरसिंह हिस्सा 4/30 राजपूत सा0 देह खातेदार, महेन्द्रसिंह पुत्र चतरसिंह हिस्सा 4/30 राजपूत सा0 देह खातेदार, मालसिंह पुत्र चतरसिंह हिस्सा 12/30 राजपूत सा0 देह खातेदार राहिन आईसीआईसीआई बैंक शाखा चौमूं, के हिस्से में खाता सं0 71 के खसरा नं0 10/1 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 11/1 रकबा 0.77 है0, खसरा नं0 18 रकबा 0.60 है0 खसरा नं0 58 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 59 रकबा 1.16 है0, कुल किता 5 का कुल रकबा 2.62 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

निजीमबलिक बाबतखर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह
..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक को अदा
करें।

बाबरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 07.08.2023 को जारी किया
गया।
मोहर

दस्तखत.....
ओहदा.....

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	4	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	2	2. स्टाम्प वकालतनामा	0
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6. बाबत इजराय	
7. बाबत इजराय		हुक्मनामा	
हुक्मनामा		7. मुतफरिक	
8. मुतफरिक			
जोड़	6	जोड़	0

.....
सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ जयपुर
पीठासीन अधिकारी :-सुश्री पूजा मीणा (R.A.S.)

मुकदमा नं0-06/2023

उनवान
राहुल पुत्र सुन्दरलाल, जाति अहीर, निवासी ग्राम देवपुरा टांकरड़ा, तहसील चौमूँ जिला जयपुर।

-वादी-

बनाम

1. कुन्दन सिंह पुत्र चतर सिंह
2. घीसू सिंह पुत्र भंवर सिंह
3. धन्ने सिंह पुत्र भंवर सिंह
4. निरंजन सिंह पुत्र चतर सिंह
5. महेन्द्र सिंह पुत्र चतर सिंह
6. मालसिंह पुत्र ईसर सिंह
समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम जालिमसिंह का बास, तहसील चौमूँ जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय चौमूँ तहसील चौमूँ जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये उपतहसीलदार महोदय गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।
9. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय चौमूँ, तहसील चौमूँ जिला जयपुर।
10. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, हाल पंजाब नेशनल बैंक, जरिये शाखा प्रबंधक चौमूँ तहसील चौमूँ जिला जयपुर।
11. आईसीआईसीआई बैंक जरिये शाखा प्रबंधक चौमूँ तहसील चौमूँ जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण


वाद बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक:-07.08.2023

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण के विरुद्ध पूर्व में ही एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। वकील वादी को को सुना गया। वकील वादी द्वारा वाद पत्र को प्राथमिक डिक्री के अनुसार आए कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांकित 19.06.2023 के अनुसार वाद पत्र को अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली, कुर्रैजात रिपोर्ट एवं उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। वादपत्र तकासमा का है व खातेदारों का रिकॉर्ड व मौके के अनुसार तकासमा किया जाना है। कुर्रैजात रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रैजात रिपोर्ट रिकॉर्ड व मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाई गई है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांक 19.06.2023 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादित कृषि भूमि वाके ग्राम जालिमसिंह का बास, पटवार हल्का सान्दरसर, भू0अभि0नि0 क्षेत्र हस्तेड़ा, तहसील चौमूँ जिला जयपुर के खाता सं0 70 के खसरा नं0 10 रकबा 0.06 है0, खसरा



सहायक
चौमूँ (जयपुर)

नं0 11 रकबा 1.25 है0, खसरा नं0 18 रकबा 0.60 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 1.91 हैक्टेयर भूमि, खाता सं0 71 के खसरा नं0 58 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 59 रकबा 1.16 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 1.23 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है:-

1. राहुल पुत्र सुन्दरलाल अहीर (यादव) सा0 64 ग्राम देवपुरा (टांकरड़ा), तह0 चौमूं खातेदार के हिस्से में खाता सं0 70 के खसरा नम्बर 10/2 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 11/2 रकबा 0.48 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.52 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. कुन्दनसिंह पुत्र चतरसिंह हिस्सा 4/30 राजपूत सा0 देह खातेदार रहन ओबीसी बैंक शाखा चौमूं, घीसू सिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा 3/30 राजपूत सा0 देह खातेदार, धन्ने सिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा 3/30 राजपूत सा0 देह खातेदार, निरंजनसिंह पुत्र चतरसिंह हिस्सा 4/30 राजपूत सा0 देह खातेदार, महेन्द्रसिंह पुत्र चतरसिंह हिस्सा 4/30 राजपूत सा0 देह खातेदार, मालसिंह पुत्र चतरसिंह हिस्सा 12/30 राजपूत सा0 देह खातेदार राहिन आईसीआईसीआई बैंक शाखा चौमूं के हिस्से में खाता सं0 71 के खसरा नं0 10/1 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 11/1 रकबा 0.77 है0, खसरा नं0 18 रकबा 0.60 है0 खसरा नं0 58 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 59 रकबा 1.16 है0, कुल किता 5 का कुल रकबा 2.62 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

अंतिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री व निर्णय का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)